प्रेषक

निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।

सेवा में

विद्यालय प्रभारी/मुख्याध्यापक/प्रिंसीपल,
राजकीय प्राथमिक/मिडल/उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय,
____

यादी क्रमांक 1/25–2011 एम.डी.एम(1)
दिनांक पंचकूला 3-2-12

विषयः मिड–डे–मील स्कीम के अन्तर्गत स्कूलों में थाली/चम्मच खरीदने के लिए राशि भेजने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

आपको मध्याह्न भोजन योजना के तहत .... रूपये का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .... दिनांक.................................. जोकि ऐक्सिस बैंक, पंचकूला द्वारा मांग पर जारी किया गया है को खर्च करने की स्वीकृति थाली/चम्मच खरीदने के लिए दी जाती है। उक्त खरीद निम्नलिखित नियमों व शर्तों के तहत की जानी है:–

1. खानेदार थालियां (Thalies with inbuilt bowls) तथा चम्मच जोकि स्टेनलैस स्टील के बने हों।
2. एक थाली तथा एक चम्मच की कीमत कुल पचास रूपये से अधिक न हो।
3. प्रत्येक थाली में तीन कटोरियां (खाने) बने हों।
4. थाली का व्यास 10 ईंच से कम न हो।
5. थाली का वजन 225 ग्राम से कम न हो।
6. **थालिया की खरीद निम्नलिखित कमेटी द्वारा संयुक्त रूप से की जाये:–**

(i)	विद्यालय प्रबन्धन समिति का अध्यक्ष	:	अध्यक्ष
(ii)	मुख्याध्यापक/विद्यालय प्रभारी	:	सदस्य
(iii)	विद्यालय प्रबंधन समिति का कोई एक महिला गैर सरकारी सदस्य	:	सदस्य

7. यह खर्चा एक मास तक अवश्य कर लिया जाए।
8. स्टॉक रजिस्टर में खरीदे गये सामान व वस्तुओं की प्रविष्टि की जाये।
9. सभी नियम तथा शर्तो का पालन किया जाये।
10. क्रमांक 06 पर वर्णित कमेटी खरीदे गये सामान की मात्रा व गुणवत्ता भी जांचेंगे व परखेंगे। उसके उपरांत ही खरीदे गये सामान की अदायगी सम्बन्धित फर्म को करेंगे।
11. कमेटी स्थानीय बाजार से कुटेशन एकत्रित कर उक्त सामान की खरीददारी करेंगे। खरीद कमेटी के सभी सदस्य कुटेशन पत्रों पर हस्ताक्षर करेंगे। साथ ही निर्धारित प्रपत्र (पृष्ठ के पीछे) पर मुख्याध्यापक/विद्यालय प्रभारी व विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर उपयोगिता प्रमाण पत्र अपने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को एक मास तक भेजेंगे।
12. विद्यालय के मुख्याध्यापक/विद्यालय प्रभारी खरीद से सम्बन्धित दस्तावेजों को अच्छी तरह रखेंगे जिससे भविष्य में किसी भी जांच के दौरान तथ्यों को सत्यापित किया जा सके।

संलग्नः बैंक ड्राफ्ट

अधीक्षक मिड–डे–मील,
कृतेः निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।

यादी क्रमांक 1/25–2011 एम.डी.एम (1) दिनांक पंचकूला 3-2-12

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिला उपायुक्त ....

2. अतिरिक्त उपायुक्त...

3. सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ भेजी जाती है कि वें संबंधित विद्यालयों से एक मास तक निर्धारित प्रपत्र में इस राशि के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेवें। उसके उपरान्त सभी उपयोगिता प्रमाण पत्रों की जांच पडताल कर निदेशालय में भिजवायें। उक्त सभी यह भी सुनिश्चित करें कि संबंधित खरीद निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप ही हों।

अधीक्षक मिड–डे–मील,
कृतेः निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।

प्रपत्र (मध्याह्न भोजन योजना प्रा0प0 मू0ः 2012–13)
उपयोगिता प्रमाण पत्र

विद्यालय का पूरा नाम..खण्ड का नाम......................................

जिले का नाम...

यह घोषित व सत्यावित किया जाता है कि विद्यालय को बैंक खातों में/RTGS/बैंक ड्राफ्ट क्रमांक...................................... दिनांक.............................. जारीकर्ता बैंक 'एक्सिस बैंक लि0 के माध्यम से प्राप्त राशि मूल्य...................................(मू0............................रू मात्र) दिनांक.................................. को प्राप्त हुई और दिनांक .... को निर्धारित उद्देश्य 'मध्याह्न भोजन योजना' के अन्तर्गत थाली/चम्मच खरीदने पर विहित मानकों व दिशानिर्देशों के अनुसार खर्च कर ली गई।

उक्त राशि मू0................................ में से संपूर्ण राशि अर्थात मू0.......................................खर्च कर ली गयी है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति	प्राचार्य/मुख्यध्यापक/विद्यालय प्रभारी	अन्य सदस्य
नाम	नाम	नाम